अभिभावकों के नाम एक पाती

प्रिय अभिभावकगण,

यह जानकर खुशी हुई कि अपने गाँव–मुहल्ले के स्कूल की दशा सुधारने में आप सबों का काफी सहयोग प्राप्त हो रहा है। हम सभी आपके इस प्रयास की सराहना करते हैं एवं आशा करते हैं कि अपने जिले में अब शिक्षा की तस्वीर बदलेगी।

वैसे तो विद्यालयों के नामांकन एवं उपस्थिति में काफी सुधार हुआ है, पर इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आप देखते और जानते हैं कि कई छोटे–छोटे बच्चे स्कूल न जाकर दिनभर इधर–उधर भटकते फिरते हैं। कई मासूम बच्चे तो कम उम्र में ही काम–धंधों में लगा दिये जाते हैं। कुछ जगहों में लड़कियों को परिवार के लोग पढ़ाई–लिखाई की वह सुविधा नहीं देते, जो वे लड़कों को देते हैं। आप जानते हैं कि 6 से 14 साल की उम्र में लड़के–लड़कियाँ स्लेट–पेंसिल, कागज–कलम, किताब की जगह दूसरी चीजों में लगे रहेंगे, तो बड़ा होने पर वे अपनी देख–भाल भी ठीक से नहीं कर सकेंगे। सच तो यह है कि बच्चों की असली जगह स्कूल है। आप यह भी जानते हैं कि जो माँ–बाप बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी काम मानते हैं, उनके बच्चे आगे चलकर अपना तथा अपने परिवार का ध्यान ठीक से रख पाते हैं।

हर गाँव मुहल्ले में दो–चार घर मिल जायेंगे, जहाँ माँ–बाप अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, बच्चे बड़े होकर इस पढ़ाई से काफी आगे बढ़े हैं। आपके गाँव–मुहल्ले में अब भी ऐसे परिवार होंगे, जो कहते होंगे कि अरे पढ़ने से क्या फायदा? ऐसे परिवार कभी तरक्की नहीं कर सकते। आज के जमाने में बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं किया जा सकता। खेती–किसानी से मेहनत–मजदूरी तक पढ़े–लिखे लोगों को कोई ठग नहीं सकता। पढ़ लिखकर आदमी धरती से चाँद तक पहुँच गया। पढ़ी–लिखी लड़कियाँ हवाई जहाज चला रही है। इसलिए अगर कोई परिवार अपने बच्चे को प्रतिदिन विद्यालय नहीं भेजता तो वह अच्छा नहीं करता है माँ–बाप का कर्तव्य है कि अगर बच्चे को पैदा किया है, तो उसकी पढ़ाई–लिखाई भी कराये।

बच्चे का स्कूल में नाम लिखवा देना ही काफी नहीं है। उन्हें नहला धुलाकर प्रतिदिन विद्यालय भेजना जरूरी है। साथ ही सुबह–शाम उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए।

आप यह भी जानते हैं कि स्कूल में अगर अच्छी पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चे स्कूल की तरफ नहीं आयेंगे। हमलोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल के सभी शिक्षकों को पढ़ाने की ट्रेनिंग बढ़िया तरीके से दें। अगर गुरू अपना कर्त्तव्य ठीक से निभाये तो बच्चों को पक्की शिक्षा मिलती है। अब छड़ी का जमाना नहीं रहा। हमलोग खेल–खेल में पढ़ाने की व्यवस्था विद्यालयों में कर रहे हैं। आनन्ददायी कक्ष एवं टी.एल.एम. आदि का प्रयोग इसी दिशा में एक कदम है।

अब तो **शिक्षा का अधिकार** कानून बन गया है, जिसके तहत 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे को 8 वें वर्ग तक की शिक्षा देना हम सब की जिम्मेवारी बन गयी है। शिक्षकों एवं अभिभावकों की भूमिका इस कानून को क्रियान्वयन कराने एवं सफल बनाने में काफी महत्वपूर्ण है। कुछ बच्चे विद्यालय तो रोज आते हैं, पर वे आयु एवं वर्ग अनुरूप दक्षता प्राप्त नहीं कर पाते। वे पढ़ाई में पिछड़ते चले जाते हैं एवं बीच में ही स्कूल आना छोड़ देते हैं। यह स्थिति बहुत ही दुखद है। इसका मुख्य कारण स्कूलों में नियमित एवं सही तरीके से पढ़ाई ना होना भी है। इस स्थिति को बदलने के लिए एक छोटा सा प्रयास **"पढ़ो जहानाबाद"** कार्यक्रम के रूप में जिले के दो प्रखंडों काको एवं मोदनगंज में शुरू किया गया है। इसके परिणाम काफी उत्साहवर्द्धक रहे हैं। इससे यह अनुभव प्राप्त हुआ कि अगर बच्चों को रोचक तरीके से विद्यालयों में नियमित पढ़ाया जाय, अभिभावक घर पर समय दें, शिक्षक बच्चों के माता–पिता से बच्चों के प्रगति के बारे में नियमित बात–चीत करे, तो स्थिति सुधरते देर नहीं लगती। यह आप जिले वासियों के लिए गौरव की बात है कि जहानाबाद में किये गये इस प्रयोग की सफलता से अभिभूत होकर राज्य सरकार पूरे सूबे में इस कार्यक्रम को लागू करने पर विचार कर रही है।

बच्चे की पढ़ाई बढ़िया तरीके से हो रही है कि नहीं, इसके लिए विद्यालय शिक्षा समितियों एवं गॉव वालों की बैठक महीने में एक बार अवश्य होनी चाहिए। जहानाबाद जिले में शिक्षक–अभिभावक मासिक बैठक के लिए प्रत्येक माह की 10 वीं तारीख की तिथि तय की गयी है। इस बैठक में शिक्षकों से सम्मानपूर्वक बढ़िया पढ़ाई करने के संबंध में चर्चा की जाय। साथ ही साथ अभिभावक बच्चों के शैक्षणिक प्रगति पर भी चर्चा करें। बच्चों के शैक्षणिक प्रगति को जानने के लिए अभिभावक बच्चों का प्रगति पत्रक के सम्बन्ध में शिक्षक से पुछें एवं उसके सम्बन्ध में चर्चा करें। बच्चों के शैक्षणिक स्तर में और विकास हो, इसपर शिक्षकों से सुझाव प्राप्त करें एवं विद्यालय की व्यवस्था में संवर्द्धन हेतु अपना भी सुझाव दें। ऐसा होने से शिक्षक भी गॉव–मुहल्लों का सहयोग लेकर काफी अच्छा कर सकते हैं।

कई स्कूलों में ऐसा हो सकता है कि बच्चों के अनुपात शिक्षकों की संख्या कम हो। उन विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षकों का पदस्थापन किया जा रहा है। हो सकता है, इसमें समय लगे। इसलिए